आगामी निर्वाचन के मद्देनजर जिला जेल पहुंचे कलेक्टर, एसपी, मदिरा वेयर हाऊस पहुंचकर आमद एवं वितरण की ली जानकारी

❒ निर्वाचन प्रशिक्षण को देखने पहुंचे कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा

❒ प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन से संबंधित पूछे प्रश्न, कहा अच्छे से लें ट्रेनिंग

❒ जितनी अच्छी होगी ट्रेनिंग उतना बेहतर होगा निर्वाचन कार्य

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा आज स्थानीय नटवर इंग्लिश मीडियम स्कूल में चल रहे निर्वाचन प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीठासीन अधिकारी, मतदान दल क्रमांक 1, 2, 3 के ट्रेनिंग कक्ष में पहुंचे। उन्होंने सभी से मतदान दल के दायित्वों एवं निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों से प्रश्न पूछे। उन्होंने निर्वाचन कार्य को बेहतर करने के लिए अच्छे से ट्रेनिंग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग लेंगे तो उतना ही बेहतर होगा आगामी निर्वाचन कार्य। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका होने होने पर तत्काल पूछ कर शंकाओं का समाधान करें। जिससे आपको मतदान के समय समस्या नहीं होगी।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि मतदान के समय कई मतदान केंद्र में ईवीएम से संबंधित परेशानी देखी जाती हैं, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही हैं। आपको सभी प्रक्रिया की बेहतर जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप ईवीएम, वीवीपीएटी बेहतर रूप से जोड़ सकें। उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स को सभी ट्रेनी को ईवीएम जोड़ने संबंधी प्रैक्टिस कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर, एसपी पहुंचे जिला जेल- आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर तारन प्रकाश एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार जिला जेल रायगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने विचाराधीन बंदियों के आपराधिक रिकार्ड, उनकी सजा तथा जमानत की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जिला जेल परिसर का भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। इस मौके पर सहायक जेल अधीक्षक एस.पी. कुर्रे, सीएसपी अभिनव उपाध्याय, एसडीएम गगन शर्मा, जूटमिल टीआई रामकिंकर यादव एवं जिला जेल के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मदिरा वेयर हाऊस पहुंचकर आमद एवं वितरण की ली जानकारी- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार रायगढ़ स्थित आबकारी वेयर हाऊस पहुंचकर शराब निर्माता इकाई से जिले के वेयर हाऊस तक शराब के आमद एवं वितरण प्रक्रिया की बारीकी से जांच की। इस दौरान सहायक आयुक्त आबकारी रामकृष्ण मिश्रा ने बताया कि मदिरा प्रदाय हेतु जीपीएस लगे वाहनों का उपयोग किया जाता है।

उन्होंने बताया कि निर्माता कंपनी के फैक्ट्री से परमिट जारी होते ही रायगढ़ के सर्वर में ऑटोमेटिक परमिट शो करता है। जिससे बिना परमिट वाहनों पर चिन्हांकित किया जा सकता है। कलेक्टर सिन्हा ने सहायक आयुक्त आबकारी को मदिरा प्रदाय हेतु निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ही परिवहन करने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने अवैध मदिरा शराब के निर्माण, परिवहन एवं भण्डारण पर निगरानी के साथ सख्ती कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

महत्वपूर्ण एवं खास

आज आयोजित होने वाली रोजगार मेला स्थगित

रायगढ़। जिले में आईटीआई पास आऊट युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, रायगढ़ में 7 अक्टूबर 2023 को रोजगार मेला का आयोजन किया जाना था। जिसे अपरिहार्य प्रशासकीय कारणों के चलते निरस्त किया जाता है।

प्रिंटिंग प्रेस/फ्लैक्स वक्र्स संचालकों की बैठक 10 को

रायगढ़। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस/फ्लैक्स वक्र्स संचालकों की आवश्यक बैठक 10 अक्टूबर 2023 को सायं 4 बजे जिला कार्यालय रायगढ़ के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।

रायगढ़ में पालक उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित

रायगढ़। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला शिक्षा अधिकारी बी.बाखला तथा जिला मिशन समन्वयक नरेंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी जी.आर. जाटवर के निर्देशन में समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्थानीय नटवर स्कूल के प्रशिक्षण कक्ष में विकासखंड के विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों का एक दिवसीय विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण दो चरणों में 3 से 6 अक्टूबर तक आयोजित हुयी। विकासखंड स्तरीय इस प्रशिक्षण में विभिन्न ग्रामों से लगभग 200 पालकों की भागीदारी रही। इस अवसर पर विकासखंड स्रोत समन्वयक मनोज अग्रवाल के द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अग्रवाल के द्वारा समाज में इन बच्चों के प्रति लोगों के व्यवहार तथा स्कूलों में बच्चों को अध्ययन के लिए नियमित रूप से क्यों भेजना चाहिए आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक बतलाया गया।

पानी में डूबने से 4 लोगों की असामायिक मृत्यु, वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़। अनुविभाग धरमजयगढ़ एवं खरसिया अंतर्गत 4 लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत पानी में डूबने से असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान अनुसार मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील खरसिया अंतर्गत ग्राम-ठुसेकेला के लक्ष्मीन बाई की 20 अप्रैल 2023 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर महेश मांझी को 4 लाख रुपये, ग्राम-तेलीकोट के उत्तरा कुमार धिदौड़ की 10 मार्च 2023 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर ईश्वर प्रसाद धिदौड़ को 4 लाख रुपये तथा धरमजयगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम-खलबोरा के घुराई बाई की 3 फरवरी 2023 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर रूपन को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-खर्रा के विराजो बाई की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर देवसिंह को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

जिला खनिज न्यास संस्थान में रिक्त पदों की अंतिम मेरिट सूची जारी

रायगढ़। रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 एवं लेखापाल के संविदा एवं प्रतिनियुक्ति पद के लिए आवेदन मंगाये गये थे। प्राप्त आवेदनों के जांच एवं दावा-आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची जारी की गयी है। उक्त सूची जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अपलोड की गई है। जिसमें अवलोकन किया जा सकता है।

14.250 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में अवैध शराब के विक्रय, परिवहन, भण्डारण पर नियंत्रण हेतु कड़ी कार्यवाही के निर्देश आबकारी अधिकारी को दिए थे। उक्त निर्देश के परिपालन में आबकारी विभाग द्वारा जिले में लगातार कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में धरमजयगढ़ प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंग ने कार्यवाही करते हुए 14.250 लीटर अवैध विदेशी मदिरा जब्त किया। आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध मदिरा की सूचना मिलने पर आबकारी टीम ने छाल के ग्राम बेहरामार निवासी-जगदीश प्रसाद बेहरा की रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी करने पर मध्यप्रदेश प्रांत की 14.250 लीटर अवैध विदेशी मदिरा पायी गयी। जिसे जप्ती करते हुए आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया एवं जेल दाखिला की कार्यवाही की जा रही है। इस मौके पर आबकारी मुख्य आरक्षक रामेश्वर राठिया, आरक्षक दिनेश्वर सिंग कंवर, मोहन लाल चौहान उपस्थित रहे।

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत भर्ती के लिए 7 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना ''मिशन शक्ति'' की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से 07.11.2023 तक आवेदन आमंत्रित है। इन एकमुश्त या संविदा दर पर नियुक्त होने वाले पदों में जिला मिशन समन्वयक, जेन्डर विशेषज्ञ, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय, विशेषज्ञ, कार्यालय सहायक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मल्टी टास्क स्टाफ शामिल है।

बिना अनुमति डीजे बजा रहे संचालक पर लैलूंगा पुलिस ने की कार्यवाई, डीजे समेत पूरा साउंड सिस्टम जबत

❒ थाना लैलूंगा में डीजे संचालक पर कोलाहल अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही

रायगढ़। बिना अनुमति के डीजे बजाने वालों पर पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। आज दिनांक 06.10.2023 के सुबह थाना लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुबरा बस्ती में गांव के किसी कार्यक्रम में तेज आवाज में डीजे बजने से परेशान ग्रामीण द्वारा थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को सूचना दिया। देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुये थाना प्रभारी द्वारा थाने के स्टाफ को मौके पर तस्दीक के लिये भेजा गया। जहां डीजे का संचालक निर्धारित मानक से काफी तेज, कर्कश व कर्णपीड़ा दायक आवाज में डीजे बजाता मिला जिसे संचालक को डीजे संचालन के संबंध में अनुमति पेश करने कहा गया। डीजे संचालक- सीताराम चौहान पिता चमार सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम सुबरा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ ने डीजे बजाने की कोई अनुमति नहीं होना बताया गया। लैलूंगा पुलिस ने मौके से ही डीजे संचालक के पास से 2 नग बेस बॉक्स, 4 नग डीजे बॉक्स, 1 नग मिक्सर मशीन (आहूजा कंपनी), 2 नग एम्पलीफायर, सम्पूर्ण साउंड सिस्टम कीमती करीबन ₹1,63,000/- जप्ती कर थाना लाया गया। डीजे संचालक पर थाना लैलूंगा में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा जनहित याचिका के संबंध में पारित आदेश दिनांक 29/09/2023 अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दिया गया तथा जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे- औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र की रखे जाने वाली सीमा की जानकारी दिया गया तथा नियमों का पालन करने की समझाइश देकर सचेत किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर उन पर दंडात्मक कार्यवाही के साथ पुलिस कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर एवं डीजे साऊंड सिस्टम की जप्ती कार्यवाही किया जाएगा।

इस संबंध में गत दिनों पुलिस नियंत्रण कक्ष रायगढ़ में अधिकारियों द्वारा डीजे संचालकों की मीटिंग लेकर नियमों का पालन करने की समझाइश दिया गया, साथ ही सचेत किया गया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले कार्यवाही के लिए, तैयार रहें।

मधुमक्खी और रेशम कीट पालकों को मिलेगा बिना ब्याज का ऋण

❒ मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को कृषि का दर्जा

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में आज यहां कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा राज्य में मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के साथ ही इसके पालकों को बिना ब्याज के ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। कृषि विकास एवं कृषि कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी एवं रेशम कीट पालकों को संस्थागत अल्पकालीन एवं मध्यकालीन कृषि ऋण पर 'राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021' के आधार पर प्रदान किए जाएंगे।

गौरतलब है कि केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत बागवानी मिशन अंतर्गत मधुमक्खी पालन की एक यूनिट की इकाई लागत 2.31 लाख रूपए निर्धारित की गई है, जिसमें हितग्राहियों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन के लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति होने की दशा में लंबित आवेदनों को निर्धारित ऋणमान के अनुसार बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाएगा। मधुमक्खी पालकों को बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्राप्त ऋण पर राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 के अंतर्गत सहकारिता एवं वित्त विभाग के द्वारा वहन किया जायेगा। देय ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा मुख्य योजना के समान होगी।

इसी तरह रेशम कीट पालकों को संस्थागत मध्यकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान तथा राज्य के किसानों के समान विद्युत प्रभार में अनुदान मिलेगा। जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित सिल्क समग्र-2 योजना के तहत रेशम कीट पालन करने वाले लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को केन्द्रांश और राज्यांश को मिलाकर कुल 90 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

शहतूत पौधों पर रेशम कीट पालन हेतु प्रति एकड़ लागत 5 लाख रूपए ऋणमान के आधार पर ऋण स्वीकृति दी जाएगी। निर्धारित ऋणमान में सिल्क समग्र-2 में देय अनुदान के अतिरिक्त कृषक श्रेणीवार हितग्राही अंश को बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से संस्थागत ऋण कृषि फसलों के भांति शून्य प्रतिशत ब्याज के रूप मध्यकालीन कृषि ऋण के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। वित्तीय वर्ष में सिल्क समग्र-2 योजना के तहत प्रदेश को प्रदायित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति होने की दशा में लंबित आवेदनों को निर्धारित ऋणमान के अनुसार बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा मध्यकालीन कृषि ऋण की सुविधा दी जाएगी और प्राप्त ऋण पर 03 वर्षों तक वित्त पोषण राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 के अंतर्गत सहकारिता एवं वित्त विभाग के द्वारा वहन किया जायेगा। सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा सिल्क समग्र-2 योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नाम्र्स अनुसार कृषकों को ऋण की स्वीकृति प्रदाय की जायेगी। देय ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा मुख्य योजना के समकक्ष होगी।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 10 फरवरी को

❒ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

रायगढ़। जवाहर नवोदय विद्यालय, भूपदेवपुर, रायगढ़ में सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 10 फरवरी 2024 को रायगढ़ जिले के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होगी। उक्त परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थी संबंधित दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रपत्र को पूर्णत: भरकर एवं प्रधानाध्यापक से प्रमाणित कराने के पश्चात समिति की वेबसाईट https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/Index/Registration में 31 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाईन आवेदन जमा कर सकते है। इसके लिए आवेदक रायगढ़ जिले का निवासी हो और जिले के मान्यता प्राप्त विद्यालय में सत्र 2023-24 में कक्षा 8 वीं एवं कक्षा 10 वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। (कक्षा 9 वीं प्रवेश हेतु 8 वीं अध्ययनरत एवं कक्षा 11 वीं हेतु कक्षा 10 वीं में अध्ययनरत होना चाहिए।) कक्षा 9 वीं हेतु आवेदक की जन्म तिथि 1.6.2007 से 31.7.2009 (दोनों दिन शामिल) तथा कक्षा 11 वीं हेतु जन्म 01.05.2009 से 31.07.2011 (दोनों दिन शामिल) के मध्य होना चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाईट www.navodaya.gov.in में अवलोकन कर सकते है।

जोबी कॉलेज के विद्यार्थियों ने पौध रोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

रायगढ़। शहीद वीर नारायण सिंह शासकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने मेरी माटी-मेरा देश, सुधा का संवर्धन-वीरों का अभिनंदन कार्यक्रम के तहत फलदार एवं छायादार वृक्षों का पौधारोपण किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने नीम, तुलसी, करंज, आम, जामुन और कटहल जैसे पौधों को लगाने के साथ ही उनकी देखभाल करने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य रविंद्र कुमार थवाईत ने छात्र-छात्राओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सजग रहने की महत्वपूर्ण बात कही।

महाविद्यालय के वरिष्ठ सहा. प्राध्यापक एवं क्रीड़ा समन्वयक वासुदेव प्रसाद पटेल ने कहा कि मेरी माटी, मेरा देश थीम पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण के लिए इस पौधारोपण के साथ शिक्षा के विभिन्न आयामों का समन्वय किया गया है। जिसमें भ्रमण, खेल, भाषण, नारे और स्लोगन आदि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के महत्व को सम्मिलित कर विद्यार्थियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। जिससे प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से संरक्षण किया जा सके।

इस दौरान सहा.प्राध्यापक एवं रेडक्रॉस नोडल अधिकारी योगेंद्र कुमार राठिया तथा आई.क्यू.ए.सी. समन्वयक डॉ.श्रीमती ज्ञानमणी एक्का के मार्गदर्शन में अतिथि व्याख्याता राहुल राठौर, रितेश राठौर और रेवती राठिया का विशेष योगदान रहा।

बंगाली ढाबा के पास धारदार हथियार लहरा रहा युवक गिरफ्तार

❒ घरघोड़ा पुलिस ने आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 05.10.2023 को थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चन्द्रा के नेतृत्व में घरघोड़ा पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर धरमजयगढ़ रोड बंगाली ढाबा के सामने रोड पर एक युवक लोहे का धारदार नुकिला गडासा (हथियार) लहराते हुये राहगीरों, ग्रामीणों को डराते धमकाते हुये पकड़ा गया। थाना प्रभारी घरघोड़ा को मुखबिर से उत्पाती युवक के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। पकड़े गये युवक ने अपना नाम कमल चौहान पिता हरिशंकर प्रसाद चौहान उम्र 23 वर्ष साकिन रजघटा, थाना खरसिया जिला रायगढ़ का रहने वाला बताया जिसके पास से विधिवत एक लोहे का धारदार नुकिला हथियार गडासा को जप्त कर आरोपी युवक पर थाना घरघोड़ा में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया, कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शरद चन्द्रा तथा थाने के उप निरीक्षक करमू साय पैंकरा, सहायक उपनिरीक्षक विल्फ्रेड मसीह, आरक्षक उद्यो पटेल शामिल थे।

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने निर्वाचन के लिए वाहन व्यवस्था के संबंध में ली बैठक

❒ जिला निर्वाचन कार्यालय में वाहन अधिग्रहण के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निर्वाचन कार्य के लिए आवश्यक वाहनों की व्यवस्था के लिए बैठक ली। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने कहा कि निर्वाचन के सभी टीमों की सूची बनाई जाए और उनको वाहन उपलब्ध कराएं। उन्होंने रायगढ़ के आरटीओ अधिकारी दुष्यंत राय और बलौदाबाजार के भूपेन्द्र कुमार गावरे से वाहनों के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर उप-जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान, डीएसपी मनीष कुंवर, पर्यवेक्षक हरिशंकर डनसेना, कुंजबिहारी गहरे सहित निर्वाचन के वाहन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि निर्वाचन कार्य के लिए इच्छुक नागरिक अपने निजी वाहन जैसे-कार, ट्रेक्टर, बड़े-छोटे मालवाहक आदि अधिग्रहित (किराये) पर लगा सकते हैं। वाहन अधिग्रहण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए विरेन्द्र जोल्हे से 9303919139 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिग्रहण के लिए वाहन और वाहन चालक के वैध दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। निर्वाचन के बाद इन अधिग्रहित वाहनों के किराए का भुगतान किया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.वी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480